न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल, अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3587–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–9–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 96/2010–11/पुर्नस्थापन

.....

भगवानदास आत्मज शामनदास,
बी–17 ओल्ड रेल्वे स्टेशन रोड,
बैरागढ़ तहसील भोपाल जिला भोपाल

..... आवेदक

विरूद्ध

नन्दलाल आत्मज झामनदास लालवानी
निवासी 24 रिज रोड ईदगाह हिल्स भोपाल
तहसील व जिला भोपाल

..... अनावेदक

.....

श्री एस.के.वाजपेयी, अभिभाषक–आवेदक

श्री एस.के.सोमानी एवं श्री वाय.पी.सिंह, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः २/१/१५ को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–9–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने ग्राम जमुनिया छीर तहसील हुजूर भोपाल स्थित भूमि खसरा नम्बर 159 कुल रकबा 11.42 एकड़ में से रकबा 4.00 एकड़ भूमि कय की जाकर नामान्तरण कराया गया । उक्त भूमि में से 1.78 एकड़ भूमि भू–अर्जन अधिकारी द्वारा अर्जित की गई है, जो कि आवेदक के स्वत्व की भूमि में से नहीं थी, जिसकी पुष्टि भू–अर्जन अधिकारी के प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख एवं नक्शे से होती है, परन्तु आवेदक के स्वत्व की भूमि खसरा कमांक 159/2 पर त्रुटिवश पी0एच0ई0विभाग के नाम अंकित कर दी गई, जिसकी त्रुटि सुधार हेतु आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र धारा 115–116 में प्रस्तुत किया गया, जो सम्पूर्ण जाचोपंरात स्वीकार किया गया । तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा समयवधि बाह्य अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमाक 70/अपील/2005–06 में दिनांक 28–4–07 को आदेश पारित कर स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–4–2007 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त के यहॉ अपील प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा प्रकरण कमांक 270/अपील/2006–07 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही प्रचलित रहने के दौरान आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28–4–10 को एक आवेदन पत्र धारा 32 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के संबंध में माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है, इसलिये आवेदक उक्त प्रकरण नहीं चलाना चाहता है, अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाये । अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा आवेदक के अधिवक्ता का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण समाप्त किया गया । तत्पश्चात् दिनांक 26–4–11 को आवेदक द्वारा अन्य अधिवक्ता के माध्यम से एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा प्रकरण में कभी भी अपील नहीं चलाये जाने हेतु नहीं कहा गया और न ही आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपील वापिस लेने की उसे कोई सूचना दी गई, अतः प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाये, जो प्रकरण कमांक 96/पुर्नस्थापन/10–11 दर्ज किया जाकर दिनांक 21–9–2012 से पुर्नस्थान

आवेदन अस्वीकार किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित इसी आदेश दिनांक 21–9–12 से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 1–10–2002 को आदेश पारित कर आवेदक की भूमि को अधिग्रहित नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक के विरूद्ध आदेश पारित किया गया था, जो कि अपील में निरस्त होकर प्रकरण पुनः प्रत्यावर्तित किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय से आवेदक के पक्ष में डिक्री हुई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के अभिभाषक द्वारा त्रुटिवश यह मानकर अपील वापिस ले ली गई थी कि व्यवहार न्यायालय से आवेदक के पक्ष में अंतिम आदेश पारित हो गया है, अतः आवेदक द्वारा त्रुटिसुधार कर प्रकरण पुनः नम्बर पर लेने हेतु अपर आयुक्त के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो अपर आयुक्त द्वारा अस्वीकार करने में त्रुटि की गई । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि निगरानी स्वीकर की जाकर प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि अपील को पुर्नस्थापित कर अपील का निराकरण गुणदोष के आधार पर करें ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में जो डिक्री पारित की गई है उसमें वह पक्षकार नहीं है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष लिखित में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण वापिस लिया गया है, इस आधार पर कहा गया कि उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की गई है इसलिये प्रकरण पुर्नस्थापित नहीं किया जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा एक वर्ष विलम्ब से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । अंत में कहा गया कि अपर आयुक्त का आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज की जाये ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय से आवेदक के पक्ष में आदेश पारित हो जाने से उसके द्वारा प्रकरण वापिस लिया गया है । व्यवहार न्यायालय के आदेश को अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है । आवेदक द्वारा यह मानकर अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित प्रकरण वापिस लिया गया था कि व्यवहार न्यायालय से उसके पक्ष में अंतिम आदेश पारित हो गया है, परंतु उक्त आदेश निरस्त होने से उसके द्वारा त्रुटि सुधार कर प्रकरण पुनः नम्बर पर लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है,जो कि सद्भावना से प्रस्तुत आवेदन पत्र है । चूंकि इस प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व का प्रश्न निहित है, इसलिये प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपर आयुक्त को प्रकरण पुर्नस्थापित कर गुणदोष पर निराकृत करना चाहिए था, परंतु अपर आयुक्त द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है, इसलिये उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण गुणदोष पर निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–9–2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर